न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 182/2016 दायरा दिनांक : 26.09.2016

उनवान

1— बीरमचन्द पुत्र धन्नालाल, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1/1— नरेशबाई उम्र 63 वर्ष पत्नी बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/2— मुन्नीबाई उम्र 40 वर्ष पुत्री बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/3— कल्याणीबाई उम्र 37 वर्ष पुत्री बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/4— धापूबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/5— ममताबाई उम्र 32 वर्ष पुत्री बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/6— भवानीसिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/7— द्रोपदीबाई उम्र 28 वर्ष पुत्री बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— नरेशबाई पत्नी बीरमचन्द, जाति भील, निवासी ग्राम जावरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

प्रभूदयाल पुत्र भंवरलाल, जाति ब्राहमण, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :19.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 87/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जावरी, पटवार हल्का बासंखेड़ा, तहसील मनोहरथाना की नई खतौनी संख्या 81 पुरानी 88 की खसरा नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 3 बिस्वा कुल 3 किता की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी में प्रतिवादीगण 1 और 2 जबरन कब्जा करके नींव खोद कर निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः उनके द्वारा यह कृत्य किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । यदि

वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 20.05.2016 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी के द्वारा कब्जे के अभाव में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है । अपीलांटगण ने खसरा नम्बर 205 की 3 बिस्वा में से 1.5 बिस्वा को सन् 1986 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा अपीलांट प्रतिवादीगण का चला आ रहा है । लोक अदालत ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि पत्रावली लोक अदालत में रखी गयी । लोक अदालत में अपीलांट

उपस्थित हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय को तहरीर दिखायी, जवाबदावे एवं जवाब दरख्वास्त पेश करने हेतु निवेदन किया तो यह अवगत कराया गया कि पुनः नोटिस जारी होगें, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी पेशी का कोई नोटिस नहीं दिया और उसी दिनांक को निर्णय पारित कर दिया है । वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा चलने योग्य नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट की क्रयशुदा आराजी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2003 (1) पेज 645, आर आर डी 2016 पेज 135, आर आर डी 2016 पेज 1, आर आर डी 2018 पेज 121 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि पत्रावली लोक अदालत में रखी गयी थी । लोक अदालत में अपीलांट उपस्थित हुआ है । कच्ची तहरीर के आधार पर अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलांटगण की उपस्थिति दर्ज की गई है, परन्तु वादी की उपस्थिति के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता

है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा